न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2024 नामांतरकरण अपील

1. रामरत्ती पुत्री गिन्दोडी पत्नि भंवरसिंह जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर हाल निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
2. दुलारी पुत्री गिन्दोडी पत्नि गजानन्द जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर हाल निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
3. सम्पत्ति पुत्री गिन्दोडी पत्नि हरीसिंह जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर हाल निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. लखन पुत्र गिन्दोडी
2. ज्ञानसिंह पुत्र गिन्दोडी
3. विजयसिंह पुत्र गिन्दोडी
4. कैलाश पुत्र गिन्दोडी

समस्त जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर तहसील महवा जिला दौसा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 18.12.2010 ग्राम भोपुर शाहपुर तहसील महवा तस्दीक द्वारा तहसीलदार महवा

उपस्थिति :—: श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित।
: श्री चरण सिंह डोई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 23.05.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भोपुर शाहपुर तहसील महवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 166/1399, 167, 168, 169/1400, 181/1401, 209, 210, 220, 221, 254, 258, 341, 366, 367, 368, 368/1413, 371, 372, 373, 375, 376, 396, 402, 403, 846/1397, 987, 992, 993, 1150, 1152, 1159, 1161, 1213, 1214, 1330, 1344, 1345 कुल किता 37 रकबा 17.17 है. के 1/2 हिस्से एवं खसरा नम्बर 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1389, 1390 कुल किता 7 कुल रकबा 3.29 है. के 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 का पिता गिन्दोडी पुत्र हरबान था। उक्त वर्णित कृषि भूमि 166/1399, 167, 168, 169/1400, 181/1401, 209, 210, 220, 221, 254, 258, 341, 366, 367, 368, 368/1413, 371, 372, 373, 375, 376, 396, 402, 403, 846/1397, 987, 992, 993, 1150, 1152, 1159, 1161, 1213, 1214, 1330, 1344, 1345 कुल किता 37 रकबा 17.17 है. के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता के हिस्से 1/2 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का बराबर बराबर हिस्सा 1/7, 1/7 है एवं खसरा नम्बर 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1389, 1390 कुल किता 7 कुल रकबा 3.29 है. में अपीालान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का बराबर–बराबर हिस्सा 1/7, 1/7 है। उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक भूमि है व मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है व सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर फायदा उठाते आ रहे है। अपीलान्ट दिनांक 6.3.2017 को अपने पीहर आई तथा उपरोक्त भूमि में अपनी गेहूं की फसल को देखने गई तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 मौके पर आ धमके तथा धमकी दी कि हमने इस जमीन को बेचने का सौदा कर लिया है हम इस जमीन को बेचेंगे तुम्हे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह भूमि हमारे नाम के अपने पिता गिन्दोडी की मृत्यु के बाद हमने अपने नाम करवा ली है। अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड दिखवाकर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 362 की नकल निकलवाई तो अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 362 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम खुलने की जानकारी हुई। तत्पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अपीलान्ट्स इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलवी की जाकर प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चरण सिंह डोई उपस्थित आये परन्तु बहस के दौरान उपस्थित नहीं रहे। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 362 अपीलान्ट् को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक में तस्दीक किया गया है। जबकि अपीलान्ट का भी उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के साथ बराबर का हिस्सा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा अपीलान्ट का हकत्याग किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक भूमि है व मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है व सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर फायदा उठाते चले आ रहे है। अपीलान्ट जब अपने पीहर आई तथा उपरोक्त भूमि में अपनी गेहूं की फसल को देखने गई तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने मौके पर आकर अपीलान्ट को कहा कि हमने इस जमीन को बेचने का सौदा कर लिया है हम इस जमीन को बेचेंगे तुम्हे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह भूमि हमारे नाम है अपने पिता गिन्दोडी की मृत्यु के बाद हमने अपने नाम करवा ली है। अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड दिखवाकर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 362 की नकल निकलवाई तो अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 362 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम खुलने की जानकारी हुई। तहसीलदार महवा द्वारा तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 362 में अपीलान्ट्स का नाम भी अपने हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाकर अपीलान्ट्स के हिस्से अनुसार अपीलान्ट्स के नाम भी नामान्तरकरण में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण 362 दिनांक 18.12.2010 तहसीलदार महवा द्वारा तस्दीक किया गया है। जो कि खातेदार गिन्दोडी की विरासत का नामान्तरकरण उसकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक में खोला गया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 18.12.2010 ग्राम भोपुर शाहपुर तहसील महवा खातेदार गिन्दोडी पुत्र हरबान की मृत्यू के पश्चात् उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय मृतक खातेदार गिन्दोडी पुत्र हरबान के सभी वारिसों के सम्बन्ध में जांच नहीं की जाकर विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 18.12.2010 ग्राम ग्राम भोपुर शाहपुर तहसील महवा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मृतक खातेदार गिन्दोडी पुत्र हरबान के विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:45 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official